छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक ....02 /वि.स./संपदा/2021 रायपुर, दिनांक 05/2/2021

// निविदा विज्ञापन//

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के उपयोगार्थ ए–3 साईज कॉपी प्रिंटर मशीन क्रय करने हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से निविदाएं दिनांक–19.2.2021 को अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, निविदा की विस्तृत जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाईट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

अपर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधानसभा.

निविदा की शर्तें/जानकारी

1. ए–3 साईज की कॉपी प्रिंटर मशीन की दर प्रति नग समस्त कर सहित तथा दर की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।
2. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर भी संलग्न करना होगा। कॉपी प्रींटर मशीन के स्पेसीफिकेशन की मुख्य–मुख्य बातों का उल्लेख करते हुए मशीन का जीवनकाल (प्रिंट संख्या सहित) संबंधी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।
3. मशीन की गारंटी/वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।
4. मशीन के वार्षिक रख–रखाव की दर का पृथक से उल्लेख करना होगा ।
5. **निविदाकर्ता को दिनांक 20.2.2021 को प्रातः 11:00 बजे निविदा में प्रस्तुत नई मशीन का डेमो सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा प्रदर्शित मशीनों में से ही चयन किया जावेगा ।**
6. निविदाकर्ता का वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।
7. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, एवं 2019–20 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
8. अधिकृत विक्रेता प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
9. मशीन के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।
10. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत के रूप में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रूपये 15,000/– (रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । चयनित फर्म की एफ.डी. गारंटी / वारंटी अवधि के पश्चात् वापस की जाएगी ।
11. भावपत्र/प्रस्ताव एवं अमानत राशि की एफ.डी. पृथक–पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।
12. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।
13. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अवर सचिव, संपदा कक्ष क्रमांक–बी–7 के पास दिनांक 19.2.2021 को अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी ।
14. किसी भी अथवा समस्त निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।
15. किसी भी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा ,रायपुर का होगा ।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर तथा सील